राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 129/2020

1. जयराम पुत्र भगवाना
2. नेतराम पुत्र भगवाना
3. रामधन पुत्र भगवाना
4. श्रीराम पुत्र भगवाना जाति गुर्जर निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. घोघड़ी पत्नी सोनी
2. चिरंजीलाल पुत्र विश्वेसर दयाल
3. बिमला पुत्री सोनी
4. रतन पुत्र सोनी
5. रामकुंवार पुत्र सोनी
6. सुरेश पुत्र सोनी
7. सायर पुत्र सोनी जाति गुर्जर निवासीगण कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. झाबर पुत्र भगवाना जाति गुर्जर
9. पप्पूराम पुत्र भगवाना जाति गुर्जर
10. प्रकाश पुत्र भगवाना जाति गुर्जर
11. मूलचन्द शर्मा पुत्र मामराज शर्मा निवासीगण कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
12. श्योकरण पुत्र गणपत जाति गुर्जर निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
13. रूडाराम पुत्र बींजाराम गुर्जर निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

13/1 प्रकाशी पत्नी रूडाराम
13/2 अशोक पुत्र रूडाराम
13/3 कृष्णा पुत्री रूडाराम
13/4 बुगली पुत्री रूडाराम
13/5 भूपली पुत्री रूडाराम
13/6 आंची पुत्री रूडाराम
13/7 सुप्यार पुत्री रूडाराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

14. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सेफरागुवार जरिये शाखा प्रबंधक।
15. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बबाई जरिये शाखा प्रबंधक।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.......अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:18:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री महीपाल दौराता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री रोहित पोषवाल – अप्रार्थी सं. 8 की ओर से
3. श्री शिवचरण सिंह – अप्रार्थी सं. 1, 4 से 6, 8 से 10 व 12 की ओर से

निर्णय **दिनांक 18–01–2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 129 के ख.नं. 973 रकबा 1.25 है. भूमि के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है और मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। ग्राम कांकरिया स्थित जमाबंदी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 65 में दर्ज खसरा नंबर 861 रकबा 0.18 है. भूमि के अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा ग्राम कांकरिया स्थित खाता संख्या 143 में दर्ज ख.नं. 939 रकबा 1.14 है. भूमि के अप्रार्थी सं. 8 लगायत 11 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम कांकरिया स्थित भूमि खाता सं. 389 में दर्ज ख.नं. 941 रकबा 1.21 है. भूमि का अप्रार्थी सं. 12 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम कांकरिया स्थित खाता सं. 375 में दर्ज ख.नं. 971 रकबा 1.77 है. भूमि का अप्रार्थी सं. 13 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी की भूमि ख.नं. 973 रकबा 1.25 है. में आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए मात्र एक रास्ता ख.नं. 861 के पश्चिम दिशा में स्थित आम रास्ते में से पूर्व दिशा में फटकर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 की खातेदारी भूमि ख.नं. 861 की उतरी सीमा के सहारे– सहारे तथा अप्रार्थी सं. 8 लगायत 11 के खेत ख.नं. 939 की दक्षिणी मेड/सीमा व अप्रार्थी सं. 12 के खेत ख.नं. 941 की दक्षिणी मेड/सीमा के सहारे–सहारे होता हुआ दक्षिण दिशा में मुड़कर अप्रार्थी सं. 13 के खेत ख.नं. 971 की पश्चिमी सीमा/मेड के सहारे–सहारे होता हुआ कदीम से आता जाता रहा है जिसे नजरी नक्शे में लाल सुर्ख स्याही से दिखाया गया है। उक्त रास्ते को नक्शा किश्तवार सन् 1978–79 में भी ख.नं. 939, 941 की दक्षिणी मेड/सीमा के सहारे–सहारे एवं ख.नं. 971 की पश्चिमी सीमा/मेड के सहारे–सहारे .....(डोट–डोट) मार्क से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण का यह रास्ता कदीम से आवागमन के रास्ते के रूप में व साधन लाने ले जाने के काम में आता रहा है जो 10 फुट चौड़ा है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 973 तक पहुंचने के लिए मौजूद है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उक्त रास्ता कटान में नहीं होने से अप्रार्थी सं. 1 लगायत 13 रास्ते को काश्त कर देते हैं व अवरोध कर देते हैं जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत में काश्त के समय साधन लाने व ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण को ख.नं. 861 की उत्तरी मेड/सीमा के सहारे–सहारे व ख.नं. 939 व 941 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे व ख.नं. 971 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 10 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने के लिए यह आवेदन पेश करना [illegible] प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) [illegible] करने के लिये तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नि[illegible] की ग्राम कांकरिया स्थित जमाबंदी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 129 [illegible] ख.नं. 973 रकबा 1.25 है. में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:18:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

आने जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 की खातेदारी भूमि ख.नं. 861 रकबा 0.18 है. की उत्तरी मेड के सहारे-सहारे एवं अप्रार्थी सं. 8 लगायत 11 के खेत ख.नं. 938 की दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे व अप्रार्थी सं. 12 के खेत ख.नं. 941 की दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे एवं अप्रार्थी सं. 13 के खेत ख.नं. 971 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे 10 फुट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नकशा तरमीम किया जावे व उक्त रकबा के लिये धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1, 4 से 6, 8 से 10 व 12 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 973 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 861, 939, 941, 971 की किसी भी सीमा के सहारे-सहारे कभी कोई पगडण्डी या रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण ने नजरी नक्शा गलत बनाकर पेश किया है। ख.नं. 1720/749 में ढाणी बसी हुई है ख.नं. 749 नक्शे में रास्ता मौजूद है जो प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 973 व 975 के समीप मौजूद है तथा यही से प्रार्थीगण अपने खेत ख.नं. 975 व 973 में आते जाते रहे हैं और वर्तमान में भी जारी है।

अप्रार्थीगण सं. 13/1 से 13/7 की ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की है।

अप्रार्थीगण सं. 3, 7, 14 से 15 बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2, 11 को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने बावजूद अप्रार्थी सं. 2, 11 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर इनका जवाब अवसर बन्द किया गया।

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांक: राजस्व/2021/675 दिनांक 16.03.2021 से निम्नानुसार बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है :-

1. प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 अपनी सामलाती खातेदारी की भूमि ख.नं. 973 रकबा 1.25 है. में अलग-अलग पुख्ता रहवासी मकानात बनाकर निवास कर रहे हैं जिसकी वजह से आने-जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है।
2. प्रार्थीगण वैकल्पिक तौर पर वर्तमान में व आज तक उक्त प्रस्तावित रास्ता जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड में डोटेस दर्ज है तथा मौके पर पगडंडी 3 से 5 फीट चौड़ाई का है जिससे प्रार्थीगण आते जाते हैं। उक्त के अलावा और कोई वैकल्पिक पहुंच का मार्ग नहीं है।
3. प्रार्थीगण को आने जाने हेतु निकटतम दूरी के रास्ता की जांच में यह सामने आया कि गांव की तरफ से आ रहे कटान रास्ता से नक्शा में दर्शित ख.नं. 850 रकबा 0.31 है. के दक्षिण पश्चिमी कौने से दक्षिण सीमा के सहारे होकर ख.नं. 852 रकबा 1.02 है. में से होते हुए प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 973 तक कम दूरी का रास्ता बनता है। परन्तु उक्त ख.नं. 850 मंदिर श्री रघुनाथ जी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त रास्ते के अलावा प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम व लघुत्तम दूरी का है।
4. प्रस्तावित रास्ते के आने वाली भूमि का क्षेत्रफल इस प्रकार है। ख.नं. 861 क्षेत्रफल 33x3=99 वर्गमीटर, ख.नं. 939 क्षेत्रफल 100x3=300 वर्गमीटर, ख.नं. 941 क्षेत्रफल 64x3=192 वर्गमीटर, ख.नं. 971 क्षेत्रफल 124x3=372 वर्गमीटर कुल प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 963 वर्गमीटर है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 770760/-

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:18:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

रूपये प्रति है0 है। प्रस्तावित रास्ते के क्षेत्रफल 963 वर्गमीटर की डी.एल.सी. रेट से 74225/– रूपये बनते हैं जिसका दुगुना प्रतिकर राशि रू. 148450/–रूपये हैं।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण को खसरा नंबर 973 में पहुंच हेतु रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। उक्त खसरा नंबर में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 861, 939, 941, 971 में से प्रस्तावित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 12 फुट चौड़ाई में 963 वर्गमीटर बनता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता कदीम से चला आ रहा है वर्तमान नक्शे में डोटेड लाईन से रास्ता अंकित है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 973 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। प्रार्थीगण का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रावधानों की पूर्ति करता है, अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 973 में जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 861, 939, 941, 971 की नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकितानुसार खसरा नंबर 861 की उत्तरी सीमा, ख.नं. 939 की दक्षिणी सीमा, ख.नं. 941 की दक्षिणी सीमा व ख.नं. 971 की पश्चिमी सीमा से 12 फुट चौड़ाई में पुख्ता आम रास्ता खसरा नंबर 973 तक कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 963 वर्गमीटर भूमि की कीमत 74225 रू. होती है जिसकी दुगुनी राशि 148450/–रू. अक्षरे एक लाख अड़तालीस हजार चार सौ पचास रूपये प्रार्थीगण तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 861, 939, 941, 971 के खातेदार को प्रतिकार की रकम नियमानुसार अदा करें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 861, 939, 941, 971 के रकबे में से रास्ते की भूमि निर्वापित कर रिकार्ड में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 18–01–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:18:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner